सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
पौष 06, सोमवार, शाके 1943-दिसम्बर 27, 2021 *Pausa 06, Monday , Saka 1943- December 27, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

कार्यालय भूमि आवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी

प्रपत्र

जयपुर, दिसम्बर 16, 2021

संख्या 152 :-यतः राज्य सरकार भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् तहसील चिकली डूंगरपुर एवंतहसील आनन्दपुरी बांसवाड़ा के सार्वजनिक निर्माण विभाग सीमलवाड़ाए डूंगरपुर के Work for profile improvement of approaches of High Level Bridge Sangmeshwar on Chikhli-Anandpuri road District Dungapur & Banswara हेतु अधिग्रहण करने के क्रम में निम्न भूमि का अर्जन किये जाने का आषय रखती हे।

क्र.सं.	ग्राम	तहसील	जिला	खसरा नं.	अवाप्त भूमि (हैक्टेयर)	भूमि का प्रकार	भूमि का स्वामित्व
1	बेडुआ	चिकली	डूंगरपुर	660,589,591, 590,568,531, 530,572,389	0.46	बारानी	निजी भूमि
2	वांदा	आनन्दपुरी	बांसवाड़ा	1268,1283,1285, 1286,1288,1287, 1291,1292,1293, 1294,1297,1296, 1109,1107,11,08, 1106	0.92	बारानी	निजी भूमि
कुल योग					1.38		

अतः राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन उक्त भूमि के सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु सलाहकार श्री रोषन कुमावत (फ्रीलांसर), ई-558, लालकोठी योजन, जयपुर-302015, मोबाईल-9414876990 को नियुक्त करती है।

उक्त सलाहकार श्री रोशन कुमावत द्वारा प्रस्तावित भूमि से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगाः-

1. सलाहकार द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्षित की जावेगी। तत्पशष्चात् विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।
3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अछूत और शून्य बना देगा।
5. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 7 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवष्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-
श्री रोशन कुमावत
सलाहकार (फ्रीलांसर)
ई-558, लालकोठी योजना, जयपुर - 302015
मोबाईल - 9414876990

संयुक्त शासन सचिव (पथ),
सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।